पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–10] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जनवरी, 2009 ई० (पौष 13, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	01–09	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	01–05	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

समाज कल्याण अनुभाग–3

कार्यालय ज्ञाप

27 नवम्बर, 2008 ई0

संख्या 660/XVII–3/2008–60(SK)/2006–प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं (यथा बहुक्षेत्रीय जिला विकास योजना इत्यादि) की समीक्षा तथा विभिन्न प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार निम्नवत् समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राज्य स्तरीय समिति–

(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष।
(2)	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य।
(3)	सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य।
(4)	सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य।
(5)	सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य।
(6)	सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य।
(7)	सचिव, महिला सशक्तिकरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य।
(8)	अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी कार्य करने वाले स्वै0 संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि	–	सदस्य।
(9)	सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य सचिव।

जनपद स्तरीय समिति (प्रत्येक जनपद में)–

(1)	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष।
(2)	मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी	–	सदस्य।
(3)	जिला परिषद् द्वारा नामित एक व्यक्ति	–	सदस्य।
(4)	तीन स्वै0 संस्थाओं के प्रतिनिधि (जो अल्पसंख्यक कल्याण के कार्य कर रहे हों)	–	सदस्य।
(5)	जिला पंचायती राज अधिकारी	–	सदस्य।
(6)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य।
(7)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	–	सदस्य सचिव।

जनपद स्तरीय समिति विभिन्न प्रकरणों पर राज्य स्तरीय समिति को सुझाव एवं संस्तुति प्रेषित करेगी, जिस पर राज्य स्तरीय समिति विचार कर निर्णय लेगी।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2

अधिसूचना/प्रकीर्ण

03 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 724/XXXII/2008–शासन की अधिसूचना संख्या–1141/एक–6/2004, दिनांक 30 जुलाई, 2004, संख्या 1149/xxxii/2006, दिनांक 02 अगस्त, 2006, संख्या–1170/xxxii/2007, दिनांक 28 नवम्बर, 2007 एवं संख्या–201/xxxii/2008, दिनांक 07 मार्च, 2008 द्वारा ट्रांजिट हॉस्टल (अस्थाई विधायक निवास), जो राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आता है, में मा० विधान सभा सदस्यों के कक्षों में अनुमन्य करायी गयी साज–सज्जा के अतिरिक्त निम्नलिखित साज–सज्जा/उपकरण अनुमन्य कराये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	नाम वस्तु	संख्या
01	दीवान बॉक्स	02
02	गद्दे	02
03	बाल्टी	03
04	मग	02
05	पर्दे/पर्दों की रॉड	बालकोनी हेतु
06	पी०वी०सी० मैटिंग	गैलरी एवं बालकनी हेतु
07	डस्टबीन	01
08	मल्टी परपज रैक	01
09	कॉर्नर सैल्फ	03
10	मिरर रैक	02
11	सोफा सेट	01

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

03 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 18 नो०(एम०)/xxxvi(1)/2008–1 नो०(एम०)/2008–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, श्री कुलवन्त सिंह उप्पल, अधिवक्ता, को दिनांक 03–12–2008 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला ऊधमसिंह नगर की तहसील बाजपुर के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री कुलवन्त सिंह उप्पल का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 18 no.(M.)/xxxvi(1)/2008-1 No.(M.)/2008**, dated December 03, 2008 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

December 03, 2008

No. 18 no.(M.)/xxxvi(1)/2008-1 No.(M.)/2008--In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Kulwant Singh Uppal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 03.12.2008 for Tehsil Bazpur, District Udhamsingh Nagar and in exercise of the powers under Sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Kulwant Singh Uppal be entered in the register of Notaries maintained under section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

03 दिसम्बर, 2008 ई0

संख्या 25 नो0(बी0)/xxxvi(1)/2008–15 नो0बी0/2008–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, श्री जय प्रकाश मनारिया, अधिवक्ता, को दिनांक 3–12–2008 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री जय प्रकाश मनारिया का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 25 no.(B.)/xxxvi(1)/2008-15 No.B./2008**, dated December 03, 2008 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

December 03, 2008

No. 25 no.(B.)/xxxvi(1)/2008-15 No.B./2008--In exercise of the powers under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Jai Parkash Manaria, Advocate, as Notary for a period of five years with effect from 3-12-2008 for District Headquarters Hardwar and in exercise of the powers under Sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Jai Parkash Manaria be entered in the register of Notaries maintained under section 4 of the said Act.

By Order,

R. D. PALIWAL,
Secretary-cum-L.R.

आवास विभाग

अधिसूचना

08 दिसम्बर, 2008 ई0

संख्या 2777/v–आ0–2008–26(न0वि0)01–अधिसूचना सं0 357/v–आ0–2008–26(न0वि0)01, दिनांक 22–02–2008 को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा 15(क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत

आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी। साथ ही उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा 41(3); उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 की धारा 38(3) तथा अन्य विभिन्न विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई भी अधोहस्ताक्षरी (सचिव, आवास विभाग) राज्य सरकार की ओर से निस्तारण करने हेतु अधिकृत होंगे तथा आवास विभाग के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात् यथा आवश्यकता स्थगनादेश एवं अन्तिम आदेश पारित करेंगे।

भवदीय,

सुब्रत विश्वास,
सचिव।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 715/XVII–3/2008–09(71)/2002–शासन की अधिसूचना संख्या 246 सै०क०–02–71(सै०क०)/2002, दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 को अधिक्रमित करते हुए 'उत्तराखण्ड राज्य सैनिक कल्याण परिषद्' को निम्नवत् गठित किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. (1) अध्यक्ष – मुख्यमंत्री।
   (2) वरिष्ठ उपाध्यक्ष – विभागीय मंत्री, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड।
   (3) उपाध्यक्ष – (क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
   (ख) जी०ओ०सी० इन सी० सेन्टर कमाण्ड, लखनऊ।

2. सदस्य (पदेन) :
   (क) प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
   (ख) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
   (ग) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
   (घ) सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
   (ङ) सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
   (च) सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3. सर्विस हेडक्वार्टर्स :
   (क) जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग, उत्तर भारत एरिया, बरेली।
   (ख) कमाण्डर, उत्तराखण्ड सब एरिया कमाण्ड, देहरादून।
   (ग) निदेशक, पुनर्वास जोन, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
   (घ) प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली।

4. विशेष आमन्त्रित सदस्य :
   (क) महानिदेशक, पुनर्वास, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
   (ख) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
   (ग) किसी भी ऐसे विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष को भी विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, जिससे संबंधित कोई प्रकरण परिषद् की बैठक में विचार हेतु प्रस्तावित हो।

5. पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि :

(क) ले० जन० (अ०प्रा०) एम०एस० गुँसाई, पी०वी०एस०एम०, एवी०एस०एम०, वी०एस०एम० — देहरादून।

(ख) मेजर जनरल (अ०प्रा०) आर०एस० तड़ागी — चम्पावत।

(ग) ब्रिगे० (अ०प्रा०) एच०एम० पन्त, वी०एस०एम०* — नैनीताल।

(घ) ऑनरेरी कैप्टेन (अ०प्रा०) आदित्य राम, सेना मेडल — पौड़ी।

6. प्रमुख नागरिक (मा० सदस्य विधान सभा) :

(क) श्री जोगा राम टम्टा — गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)।

(ख) श्री गणेश जोशी — राजपुर, देहरादून।

7. सचिव :

निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड। —

8. कार्यकलाप :

(क) परिषद् के गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद् के गठन की तिथि से दो वर्ष का होगा।

(ख) निदेशालय, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड में 'राज्य सैनिक परिषद्' का कार्यालय एवं मुख्यालय देहरादून में होगा। निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड परिषद् के पदेन सचिव होंगे, जो इसकी बैठकों के संयोजक होंगे।

(ग) परिषद् के अन्य पदेन सदस्यों में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी।

(घ) समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु गठित कमेटी, उप समिति एवं उच्च स्तरीय समितियों की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से लागू कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

(ङ) पूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा अन्य कल्याण संबंधी समस्याओं पर विचार करना तथा राज्य सरकार को उनके निराकरण के संबंध में संस्तुति देना।

(च) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा सेवारत सैनिकों के लिये आरम्भ की गयी विभिन्न कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं का विस्तार कराना एवं उनके वास्तविक कार्यान्वयन पर निगाह रखना।

(छ) पूर्व सैनिकों द्वारा विभिन्न विद्यमान अथवा बनाई जाने वाले औद्योगिक और भूमि सहकारी समितियों के विषय में आवश्यक सलाह और सहायता देना।

(ज) राज्य और जिला सैनिक बोर्डों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों से इस बात को ध्यान में रखते हुए सम्पर्क रखना कि पूर्व सैनिकों और सेवारत कार्मिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्राधिकारियों से शीघ्रता से आवश्यक सहायता मिल सके और वे अपनी शिकायतों को दूर करा सकें।

(झ) उपर्युक्त दायित्वों को राज्य सरकार के समक्ष निरन्तर रखना जिससे कार्यकारी और वित्तीय उत्तरदायित्व के विषय में आदेश पारित हो सके।

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि निम्नलिखित के कल्याण व प्रभावशाली पुनर्वास और असैनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित बातों की जानकारी पुनर्वास महानिदेशालय को मिलती रहे :–

(एक) सेवारत सैनिकों के परिवार/आश्रित।

(दो) सेवाकाल में मृत अथवा घायल होने वालों के परिवार और उनके आश्रित।

(तीन) पूर्व सैनिक और उनके परिवार।

संबंधित विभागों द्वारा कमियां दूर करने के लिए की गयी कार्यवाही, विचाराधीन प्रस्ताव और जारी किये गये आदेशों की जानकारी भी शामिल होगी।

(त) पूर्व सैनिकों के परिवारों तथा सेवारत कार्मिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन हेतु शासन को प्रस्तुत करना।

(थ) पूर्व सैनिकों और सेना के वर्तमान सैनिकों के कुटुम्ब के कल्याण के लिये साधनों को बढ़ावा तथा पूर्व सैनिकों को पुनर्वासित करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(द) देश में सशस्त्र सेनाओं के संबंध में साधारण जनता में सूचना का प्रसार करना तथा सामान्य जनता में सेनाओं के प्रति बुद्धियुक्त अभिरुचि जागृत करने की प्रभावी योजनाओं की संस्तुति देना।

(ध) सिविल प्राधिकारियों से ऐसे भी विषयों के बारे में निवेदन करना और समझना जो सैनिक वर्गों के लिए महत्व के अथवा हितकर हों और जिनके संबंध में राज्य शासन का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो।

(न) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त प्राधिकारियों के समक्ष सैनिक सेवा के सभी वर्गों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं और कठिनाईयों को प्रस्तुत करके उनकी सहायता करना।

(प) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड तथा उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था के न्यासियों/ट्रस्टियों के निकट सम्पर्क में ऐसी योजनाओं को चलाने के लिये कार्य करना जो पूर्व सैनिकों को फिर से नौकरी दिलाने में सहायक हों और उद्योग धन्धों को लगाने के निमित्त ऐसी सरकारी समितियों की स्थापना तथा अन्य योजनाओं/स्कीमों के लिए हों जिनका प्रारम्भ पूर्व सैनिकों के लाभार्थ किया गया है।

(फ) सैनिक प्राधिकारियों के साथ–साथ सम्पर्क स्थापित करना और ऐसे विषयों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना जो पूर्व सैनिकों के संबंध में हों और जिन पर उनका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो।

9–वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 3 के नियम 2(बी) के अंतर्गत परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने के लिये की गयी यात्रा के लिये नियमानुसार अनुमन्य श्रेणी का यात्रा तथा दैनिक भत्ता देय होगा। यह भत्ता सामान्य निवास स्थान से बैठक के स्थान तथा सामान्य निवास स्थान की वापसी की यात्रा के लिये अनुमन्य होगा। यदि यात्रा भत्ता रेल टिकट रियायती दर पर उपलब्ध होंगे तो यात्रा भत्ता रेल के वास्तविक किराये व देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। सदस्य विधानसभा/संसद सदस्यों को रेल किराया देय नहीं होगा, वरन् प्रासंगिक व्यय देय होगा। यात्रा तथा दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट 1 से 4 तक के प्राविधानों के अंतर्गत होंगे। सरकारी सदस्यों को अपने विभागीय आय–व्ययक से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा। गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता देने के लिये निदेशक, सैनिक कल्याण नियंत्रक अधिकारी होंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

16 दिसम्बर, 2008 ई0

संख्या 8(1) नो0(सी0)xxxvi(1)/2008–924(1)90–नोटरी रूल्स, 1956 के नियम 8 (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, श्री बलबीर सिंह रांगड, नोटरी/अधिवक्ता, तहसील डुण्डा के नोटरी कार्य क्षेत्र का विस्तार दिनांक 16–12–2008 से पांच वर्ष की अवधि हेतु तहसील चिन्यालीसौड़ के लिये करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में भी इसकी प्रविष्टि कर ली जाय।

आज्ञा से,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 8(1) no.(C.)/xxxvi(1)/2008-924(1)90**, dated December 16, 2008 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

December 16, 2008

No. 8(1) no.(C.)/xxxvi(1)/2008-924(1)90 --In exercise of the powers under Rule 8(a) of the Notaries Rules, 1956, the Governor is pleased to extend the notary area of Sri Balbir Singh Rangar, Notary/Advocate, Tehsil Dunda, District Uttarkashi to Tehsil Chinyalisaur, District Uttarkashi for a period of five years with effect from 16-12-2008 and in exercise of the powers under Sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that this entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

R. D. PALIWAL,
Secretary-Cum-L.R.

राज्य सम्पत्ति विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

17 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 925/XXXii/2008--"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलयन नियमावली, 2002 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलयन (संशोधन) नियमावली, 2008

1--संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ--

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2--नियम 6 में उपनियम (11) का अन्तःस्थापन--

उत्तरांचल राज्य सम्पत्ति विभाग वाहन चालक संविलयन नियमावली, 2002 के नियम 6 में उपनियम (10) के पश्चात् एक नया उपनियम अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(11) राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत संविलयन किये गये वाहन चालकों को निर्धारित ज्येष्ठता सूची के अनुसार विभिन्न ग्रेडों में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष पदस्थापित/समायोजित किये जाने हेतु उनकी पूर्व सेवाओं का संज्ञान लिया जायेगा :

परन्तु यह कि उच्च वेतनमानों में प्रोन्नति हेतु ज्येष्ठता रखने वाले वाहन चालकों को चयन वर्ष 2008--09 में केवल एक बार के लिए उस सीमा तक सेवावधि में शिथिलीकरण प्रदान किया जायेगा, जिस सीमा तक शिथिलीकरण प्रोन्नति हेतु आवश्यक है।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 925/XXXII/2008,** dated December 17, 2008 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

December 17, 2008

No. 925/XXXII/2008--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amending the Uttaranchal Estate Department Drivers Absorption Rules, 2002.

THE UTTARAKHAND ESTATE DEPARTMENT DRIVERS ABSORPTION (AMENDMENT) RULES, 2008

1. Short title and Commencement--

(1) These rules may be called the **Uttarakhand Estate Department Drivers Absorption (Amendment) Rules, 2008.**

(2) They shall come into force at once.

2. Insertion of sub-rule (11) in rule 6--

In the Uttaranchal Estate Department Drivers Absorption Rule, 2002, a new sub-rule shall be inserted after sub-rule (10) in rule 6, namely :--

"(11) The past services of absorbed drivers in the Estate Department, shall be considered for posting/ adjusting against the vacancies available in different grades, as per existing seniority list :

Provided that the One Time relaxation in the service period will be given in the selection year 2008-09 to drivers having seniority for promotion to the higher pay scales to the extent reqired for promotion.

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Secretary

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 हिन्दी गजट/1-भाग 1-2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जनवरी, 2009 ई० (पौष 13, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति / पदोन्नति

08 दिसम्बर, 2008 ई०

पत्रांक 8133 / नि०ले०ह० / 14(4)–II / टी०सी० / 2008–इस निदेशालय से सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में लेखा कर्मियों का चयन करके निर्गत विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या 4920 / नि०ले०ह० / 14(4) / ए / 2004–05, दिनांक 27 जुलाई, 2004, विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 7773 / नि०ले०ह० / 14(4) / ए / 2004–05, दिनांक 05 मई, 2005 तथा विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 9932 / नि०ले०ह० / 14(4) / ए / 2004–05, दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के विरोध में दायर रिट पिटीशन संख्या 731 / (एस / एस)2004 पर माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय, दिनांक 22 सितम्बर, 2007 को निर्णय पारित हुआ। न्यायालय के निर्णय के अनुपालन हेतु शासन से पत्र संख्या 04 / XVII(6) / 2008, दिनांक 04 जनवरी, 2008 द्वारा निर्देश दिये गये। इसके क्रम में 90 प्रतिशत विभागीय लेखाकारों / ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की प्रदेश स्तरीय पारस्परिक अंतिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या 5891 / नि०ले०ह० / 14(4)–II / ज्येष्ठता / 2008, दिनांक 24 जून, 2008 जारी की गयी।

उक्त ज्येष्ठता सूची से तथा 5–5 प्रतिशत निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें तथा निदेशालय लेखा एवं हकदारी की पूर्व स्थिति के अनुसार तैयार पारस्परिक ज्येष्ठता से सहायक लेखाधिकारी सेवा नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अधीन सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में नियमित चयन के लिये दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 को चयन समिति गठित की गयी। चयन समिति की संस्तुति, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा शासन के निर्देश के क्रम में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से इससे पूर्व नियमों से अन्यथा (**De hors the Rules**) की गयी सभी पदोन्नति के आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखितों को सहायक लेखाधिकारी, वेतनमान 7450–225–11500, पुनरीक्षित वेतनमान 9300–34800 के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान कर स्तम्भ–3 में वर्णित पद एवं कार्यालय में तैनात किया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

प्रतिनियुक्ति के पदों के सापेक्ष चयनित / पदोन्नत हुए अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पद की अवधि समाप्त हो जाने तथा संवर्गीय पद रिक्त न होने की दशा में कनिष्ठतम अधिकारी स्वतः अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

90 प्रतिशत विभागीय लेखाकारों / ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के स्रोत से पदोन्नत अधिकारी

क्र०सं०	मूल विभाग का नाम	अभ्यर्थी का नाम, पदोन्नति का पदनाम, तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	शिक्षा	श्री बच्ची दत्त जोशी, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, नैनीताल	

1	2	3	4
2.	शिक्षा	श्री कुन्दन सिंह राणा, सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय, पौड़ी	
3.	शिक्षा	श्री हीरा बल्लभ पाण्डे, सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक, कृषि, हल्द्वानी, नैनीताल	
4.	शिक्षा	श्री हरीश चन्द्र पंत, सहायक लेखाधिकारी प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल	
5.	ग्राम्य विकास	श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक लेखाधिकारी, मण्डलीय कार्यालय, शिक्षा विभाग, नैनीताल	
6.	शिक्षा	श्री विजय प्रसाद पंत, सहायक लेखाधिकारी, लो०नि० विभाग, देहरादून	
7.	वन	श्री शिव बल्लभ डोभाल, सहायक लेखाधिकारी युवा कल्याण निदेशालय, देहरादून	
8.	वन	श्री बसन्त बिहारी ध्यानी, सहायक लेखाधिकारी, लेखा एवं हकदारी निदेशालय, देहरादून	
9.	खाद्य	श्री डी०एस० बिष्ट, सहायक लेखाधिकारी, सम्भागीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	
10.	खाद्य	श्री अशोक कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी, वन विभाग, देहरादून	
11.	उद्यान	श्री सुधीर कुमार गैरोला, सहायक लेखाधिकारी, वन विभाग, देहरादून	
12.	खाद्य	श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यालय, हरिद्वार	
13.	खाद्य	श्री यू०एस० बोरा, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यालय, नैनीताल	
14.	लो०नि०वि०	श्री विशाल सिंह बिष्ट, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, देहरादून	
15.	सहकारिता	श्री चन्द्र बल्लभ पाठक, सहायक लेखाधिकारी, अपर आयुक्त कार्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	
16.	शिक्षा	श्री गोविन्द बल्लभ उपाध्याय, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, अल्मोड़ा	
17.	शिक्षा	श्री सुनील कुमार रतूड़ी, सहायक लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, देहरादून	
18.	शिक्षा	श्री गया प्रसाद पाठक, सहायक लेखाधिकारी, डेयरी विकास विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल	
19.	शिक्षा	श्री लीलाराम गोरखा, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चमोली	
20.	उद्योग	श्री के०एस० बिष्ट, सहायक लेखाधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, पौड़ी	
21.	उद्योग	श्री नवीन नैथानी, सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय पंचायतीराज, देहरादून	
22.	शिक्षा	श्री महेश चन्द्र पंत, सहायक लेखाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, देहरादून	

1	2	3	4
23.	शिक्षा	श्री प्रकाश लाल शैल, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर	
24.	खाद्य	श्री स्वरूप सिंह नेगी, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, पिथौरागढ़, सहायक लेखाधिकारी सर्व शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार	
25.	शिक्षा	श्री भजन लाल, सहायक लेखाधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी	
26.	शिक्षा	श्री विनोद कुमार भट्ट, सहायक लेखाधिकारी विद्यालयी शिक्षा, देहरादून	
27.	शिक्षा	श्री बुद्धि सिंह भंडारी, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, हरिद्वार	
28.	उद्यान	श्री मोहन लाल टम्टा, सहायक लेखाधिकारी, निबन्धक, सहकारी समितियां, अल्मोड़ा	
29.	पंचायत	श्री देवी दत्त जोशी, सहायक लेखाधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून	
30.	शिक्षा	श्री होशियार सिंह मेहरा, सहायक लेखाधिकारी, लेखा एवं हकदारी निदेशालय, शिविर कार्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	
31.	पंचायत	श्री सोबन सिंह बिष्ट, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, चम्पावत	
32.	उद्यान	श्री मोहन राम, सहायक लेखाधिकारी, निबन्धक, सहकारी समितियां, अल्मोड़ा	
33.	उद्यान	श्री बन्दन राम, सहायक लेखाधिकारी, उद्यान विभाग, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	
34.	उद्यान	श्री बचीराम आर्य, सहायक लेखाधिकारी, उद्यान विभाग, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	
35.	उद्यान	श्री रूपचन्द्र आर्य, सहायक लेखाधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यालय, चमोली	
36.	उद्यान	श्री एल०पी० कोठियाल, सहायक लेखाधिकारी, कृषि विभाग, देहरादून	
37.	उद्यान	श्री विपिन चन्द्र जोशी, सहायक लेखाधिकारी, उद्यान विभाग, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा	
38.	उद्यान	श्री रमेश चन्द्र भट्ट, ग्रामीण विकास, प्रशिक्षण संस्थान, ऊधमसिंह नगर	
39.	शिक्षा	श्री राजेन्द्र प्रसाद रतूड़ी, सहायक लेखाधिकारी, खेल निदेशालय, देहरादून	
40.	उद्यान	श्री रामलाल, सहायक लेखाधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यालय, चम्पावत	
41.	पशुपालन	श्री विजय सिंह रावत, सहायक लेखाधिकारी, परिवहन विभाग, देहरादून	
42.	पशुपालन	श्री चन्द्र मोहन सिंह, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, टिहरी	

1	2	3	4
43.	शिक्षा	श्री शेर सिंह, सहायक लेखाधिकारी, सम्भागीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय, देहरादून	
44.	शिक्षा	श्री संत राम, सहायक लेखाधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय, देहरादून	
45.	सहकारिता	श्री गिरीश चन्द्र सकलानी, सहायक लेखाधिकारी, कारागार निदेशालय, देहरादून	
46.	पशुपालन	श्री विजय सिंह सजवाण, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, रुद्रप्रयाग	
47.	ग्राम्य विकास	श्री मदन प्रसाद सती, सहायक लेखाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, देहरादून	
48.	ग्राम्य विकास	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, नैनीताल	
49.	कृषि	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यालय, देहरादून	
50.	कृषि	श्री लक्ष्मीदत्त जोशी, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यालय, अल्मोड़ा	
51.	कृषि	श्री धर्मपाल सिंह नेगी, सहायक लेखाधिकारी, निबन्धक, सहकारी समितियां, अल्मोड़ा	
52.	कृषि	श्री सुन्दर लाल डोभाल, सहायक लेखाधिकारी, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पौड़ी	
53.	कृषि	श्री जीत सिंह गोसाई, सहायक लेखाधिकारी, पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून	
54.	कृषि	श्री दिगम्बर सिंह नेगी, संस्कृत निदेशालय, देहरादून	
55.	कृषि	श्री गोकुल सिंह नेगी, सहायक लेखाधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा, कार्यालय पौड़ी	
56.	कृषि	श्री हरीश कुमार ढौंडियाल, जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा कार्यालय, रुद्रप्रयाग	
57.	कृषि	श्री देवकी नन्दन जोशी, सहायक लेखाधिकारी, परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा कार्यालय, देहरादून	
58.	पशुपालन	श्री विनोद कुमार, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, उत्तरकाशी, सहायक लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार	
59.	परिवहन	श्री शूरवीर सिंह भण्डारी, सहायक लेखाधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा, ऊधमसिंह नगर	
60.	शिक्षा	श्री रामबाबू शकवार, सहायक लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की	
61.	शिक्षा	श्री अशोक पति, सहायक लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय, देहरादून	

5 प्रतिशत निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें के श्रोत से पदोन्नत अधिकारी

क्र०सं०	मूल विभाग का नाम	अभ्यर्थी का नाम, पदोन्नति का पदनाम, तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	कोषागार निदेशालय	श्री भगवत सिंह, सहायक लेखाधिकारी, लेखा एवं हकदारी निदेशालय, देहरादून	
2	कोषागार निदेशालय	श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी, निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून	

5 प्रतिशत निदेशालय लेखा एवं हकदारी के श्रोत से पदोन्नत अधिकारी

क्र०सं०	मूल विभाग का नाम	अभ्यर्थी का नाम, पदोन्नति का पदनाम, तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	लेखा एवं हकदारी	श्री पंकज श्रीवास्तव, वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, बागेश्वर	सहायक लेखाधिकारी सर्व शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार
2	लेखा एवं हकदारी	श्री भुवनेश, सहायक लेखाधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, देहरादून	सहायक लेखाधिकारी, लेखा एवं हकदारी, देहरादून का अतिरिक्त प्रभार

90 प्रतिशत विभागीय लेखाकारों/ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो पदोन्नति के समय निर्धारित की गयी है। परन्तु 90 प्रतिशत विभागीय लेखाकारों/ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों तथा 5-5 निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें व निदेशालय लेखा एवं हकदारी, श्रोतों से पदोन्नत अधिकारीगणों की सहायक लेखाधिकारी संवर्ग में संयुक्त पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार अलग से निर्धारित होगी।

सभी पदोन्नत अधिकारी अपने-अपने पद पर नियमित पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने के फलस्वरूप पद का कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से इस निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

टी० एन० सिंह,
निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी।

विज्ञप्ति/तैनाती

15 दिसम्बर, 2008 ई०

संख्या 8147/नि०ले०ह०/14(4)-II/टी०सी०/2008-विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या 8133/नि०ले०ह०/14(4)-II/टी०सी०/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, में श्री धर्मपाल सिंह नेगी, सहायक लेखाधिकारी की तैनाती त्रुटिवश निबन्धक, सहकारी समितियां, अल्मोड़ा में दर्शाया गया है। जबकि इस पद पर श्री मोहन राम, सहायक लेखाधिकारी की तैनाती की गयी है। अतः एतद्द्वारा श्री धर्मपाल सिंह नेगी, सहायक लेखाधिकारी की सहायक लेखाधिकारी, निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा में त्रुटिवश की गयी तैनाती को निरस्त करते हुए सहायक लेखाधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय सर्व शिक्षा, बागेश्वर के पद पर की जाती है। विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश संख्या 8133/नि०ले०ह०/14(4)-II/टी०सी०/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

टी० एन० सिंह,
निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 हिन्दी गजट/1-भाग 1-क-2009 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।